न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

पीठासीन अधिकारी :– सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रकरण संख्या :– 76/2024 **जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2024/94**

दायर दिनांक :– 14.05.2024 **निर्णय दिनांक :– 18.02.2025**

1. कासम खां पुत्र हाजीखां जाति मुसलमान निवासी वशिष्ठनगर तहसील बाप जिला फलोदी
2. नसीरदीन पुत्र हाजीखां फौत के कायम मुकाम
2/1 इस्माईल पुत्र नसीरदीन जाति मुसलमान निवासी वशिष्ठनगर तहसील बाप जिला फलोदी
2/2 जलू पत्नी नसीरदीन जाति मुसलमान निवासी वशिष्ठनगर तहसील बाप जिला फलोदी
3. बालम खां पुत्र हाजीखां जाति मुसलमा निवासी वशिष्ठनगर तहसील बाप जिला फलोदी
4. मेहरदीन पुत्र हाजीखां फौत के कायम मुकाम
4/1 सायबों पत्नी मेहरदीन जाति मुसलमान निवासी वशिष्ठनगर तहसील बाप जिला फलोदी
4/2 मुबारक पुत्र मेहरदीन जाति मुसलमान निवासी वशिष्ठनगर तहसील बाप जिला फलोदी
4/3 अब्दुल शकूर पुत्र मेहरदीन जाति मुसलमान नि. वशिष्ठनगर तहसील बाप जिला फलोदी
4/4 रहमतुल्ला पुत्र मेहरदीन जाति मुसलमान निवासी वशिष्ठनगर तहसील बाप जिला फलोदी
5. रजमान पुत्र हाजीखां जाति मुसलमान निवासी वशिठनगर तहसील बाप जिला फलोदी
6. रेशम पुत्र हाजी खां जाति मुसलमान निवासी वशिष्ठनगर तहसील बाप जिला फलोदी
7. राउखां पुत्र रजे खां जाति मुसलमान निवासी वशिष्ठनगर तहसील बाप जिला फलोदी
7/1 अलारख पुत्र राउखां जाति मुसलमान निवासी वशिष्ठनगर तहसील बाप जिला फलोदी
7/2 ममूखां पुत्र राउखां जाति मुसलमान निवासी वशिष्ठनगर तहसील बाप जिला फलोदी
7/3 गफूरखां पुत्र राउखां जाति मुसलमान निवासी वशिष्ठनगर तहसील बाप जिला फलोदी
8. सरादीन पुत्र हाजीखां जाति मुसलमान निवासी वशिष्ठनगर तहसील बाप जिला फलोदी

–प्रार्थी

बनाम्

1. गंगाराम पुत्र अलसीराम जाति मेघवाल निवासी बाप तहसील बाप जिला फलोदी
2. हजरोंबानों पत्नी उमरखां जाति मुसलमान निवासी वशिष्ठनगर तहसील बाप जिला फलोदी
3. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बाप तहसील बाप जिला फलोदी

–अप्रार्थी

राजस्व प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

सहायक कलेक्टर बाप जिला फलोदी (राज.)

उपस्थित :–1. श्री राजेन्द्रसिंह सोंलकी अधिवक्ता प्रार्थीगण
2. पैरोकार सरकार तहसीलदार बाप
3. श्री मोहम्मद रफीक अधिवक्ता अ. सं. 1

–:निर्णय:–

अधिवक्ता प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम इस आशय से पेश किया है कि सरहद मौजा वशिष्ठनगर पटवार क्षेत्र घटोर तहसील बाप में प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 2 की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 153 रकबा 23.8117 हैक्टेयर भूमि स्थित है। प्रार्थीगण की उक्त भूमि पर आज दिन तक लगातार शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है। प्रार्थी ने उक्त भूमि पर रहवासीय ढाणी, पानी के टांके, पशुओं के बाड़े इत्यादि बना रखे है और प्रार्थी अपने परिवार सहित बारह मास निवास करता आ रहा है नकल जमाबंदी व नक्शा ट्रेस संलग्न प्रार्थना पत्र पेश है। प्रार्थीगण उक्त खातेदारी अधिकारों के चिपती उत्तर पूर्व दिशा में अप्रार्थी संख्या 1 व रामचन्द्र, हरचंद पिसरान माणकराम की संयुक्त खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 156 रकबा 6.3131 हैक्टेयर व खसरा

सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

नम्बर 157 रकबा 2.9137 हैक्टेयर भूमि ग्राम वशिष्ठनगर पटवार क्षेत्र घटोर तहसील बाप में आई हुई है। प्रमाणित जमाबंदी व नक्शा ट्रेस संलग्न प्रार्थना पत्र पेश है। प्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 153 की भूमि एवं उसमें बनी रहवासीय ढाणी में आने जाने हेतु अप्रार्थी संख्या 1 का खसरा नम्बर 156 व 157 की भूमि में से रास्ता हेतु संलग्न नजरी नक्शा अनुसार उपयोग में ली जा रही है। प्रार्थी को आने जाने हेतु उक्त रास्ते के आलावा अन्य कोई मार्ग नहीं है तथा प्रार्थीया द्वारा पूर्व में अप्रार्थी की भूमि में से आने जाने हेतु रास्ते का उपयोग लिया जा रहा था। अप्रार्थी उक्त रास्ते को बंद करने को आमादा है। प्रार्थी को यह प्रार्थना पत्र नये रास्ते की घोषणा हेतु प्रस्तुत करना पड़ रहा है।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली गयी व प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया और अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 3 तहसीलदार बाप ने मौका रिपोर्ट पेश की जो शामिल पत्रावली की गई। अप्रार्थी संख्या 1 की और से वकील श्री मोहम्मद रफीक ने वकालतनामा व इकबालिया जवाब पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थी संख्या 2 की और से कोई उपस्ति नहीं आने पर एक पक्षीय कार्यवाही की गयी। पत्रावली में बहस सुनी गई।

विचाराधीन प्रकरण में राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 69 के प्रावधानों के अन्तर्गत तहसीलदार बाप से निर्धारित प्रपत्र में रिपोर्ट ली गई रिपोर्ट व मौका फर्द अनुसार –

1. प्रार्थीगण वर्तमान में अस्थाई तौर पर खसरा नंबर 153 में आने जाने हेतु रास्ता खसरा नंबर 156 व 157 के किनारे से उपयोग में ले रहे है जो कि स्वीकृत शुदा नहीं है।
2. खसरा नंबर 153 के निकटतम खसरा नम्बर 156 व 157 के चिपता खसरा मे पानी की नाडी है।
3. यदि खसरा नंबर 156 व 157 में से रास्ता दिया जाता है तो 0.3237 हैक्टेयर भूमि रास्ते में आती है जो सबसे निकटतम व सुविधाजनक होगी।
4. अप्रार्थी संख्या 1 के घोषणा पत्र अनुसार खसरा नम्बर 156 व 157 में गंगाराम के दर्ज भूमि को रास्ते हेतु घोषित किये जाने का सहमति पत्र प्रदान किया है जो तहसीलदार बाप की रिपोर्ट के संलग्न प्रस्तुत किया है।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251–क के प्रार्थना पत्र के निस्तारण हेतु निम्नांकित बिन्दुओं का विवेचन किया गया –

1. रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता।
2. वैकल्पिक रास्ते की आवश्यकता।
3. नया मार्ग लघुतम रूट से हो।

बहस उभय पक्ष सुनी गयी, पत्रावली में संलग्न जमाबंदी, नजरी नक्शा, तहसीलदार बाप की रिपोर्ट आदि का अवलोकन किया गया रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता, वैकल्पिक रास्ते के मध्यनजर अप्रार्थी संख्या 1 के घोषणा पत्र एवं तहसीलदार बाप की रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

क्रियात्मक आदेश

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम वशिष्ठनगर पटवार क्षेत्र बाप के खसरा नंबर 156 रकबा 0.2428 है. व खसरा नम्बर 157 रकबा 0.0809 है. गंगाराम के हिस्से की भूमि मौका फर्द के संलग्न नजरी नक्शानुसार रास्ता स्वीकृत किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में गैर मुमकिन रास्ता का अकंन किया जाकर मौके पर रास्ता चालू करवाये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्त स्वीकृत रास्ते की एवज में डीएलसी की दुगनी दर से प्रतिकर देय होगा जिसकी गणना तहसीलदार बाप द्वारा करवाई जावेगी। प्रार्थीगण द्वारा उक्त राशि राजकोष में जमा करवाये जाने के उपरांत गै.मु.रास्ते का अकंन राजस्व रिकॉर्ड में किया जावेगा। उक्त प्रतिकर की राशि का भुगतान अप्रार्थी संख्या 1 को किया जावे। तहसीलदार बाप को पालनार्थ लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 18.02.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर बाप, जिला फलोदी (राज.)

(सुखाराम पिण्डेल आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)

सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)